कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
''वन धन भवन'' सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष क्रमांक - 0771-2513100
E-mail: mfpfed.cg@nic.in; Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो./संघ/स्थापना-2/2025/ 32 नवा रायपुर, दिनांक 17/01/2025

✦आदेश✦

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर को व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से सहायक प्रबंधक (प्रबंधन) संविदा पद हेतु प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर, कार्या. आदेश क्र. 443 दिनांक 03.12.2024 द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 03-01-2025 के कार्यवाही विवरण में की गयी अनुशंसा के आधार पर **''सहायक प्रबंधक (प्रबंधन)''** के संविदा पदों पर चयनित निम्न अभ्यर्थियों को मासिक संविदा वेतन एकमुश्त राशि रूपये 35,750/- में निम्नानुसार कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थी का संवर्ग	संविदा नियुक्ति का संवर्ग	पदस्थिति स्थल
01	श्री विकास कुमार चावड़ा	श्री मण्डल सिंह चावड़ा	अनारक्षित	अनारक्षित	जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बालोद
02	श्री सोमेश कुमार साहू	श्री बंशी लाल साहू	अ.पि.व.	अनारक्षित	जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित जगदलपुर
03	कु. संध्या गोयल	श्री कैलाश चन्द्र गोयल	अनारक्षित	अनारक्षित	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर
04	श्री रजनीश कुशवाहा	श्री रामअवतार कुशवाहा	अ.पि.व.	अ.पि.व.	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर
05	श्री जुलयेश बरवा	श्री केलेमेंट बरवा	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर
06	कु. प्रशंसा ठाकुर	श्री एन.ठाकुर	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित राजनांदगांव
07	श्री यशवंत कुमार ध्रुव	श्री फूलसिंह ध्रुव	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित गरियाबंद

संविदा संबंधी मुख्य शर्ते निम्नानुसार है :-

1. संविदा कर्मी की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कर्मचारी, भर्ती वर्गीकरण तथा सेवा शर्ते नियम 1994 से शासित होगी ।
2. संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त संविदा वेतन राशि रूपये 35,750/- के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
3. प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी । वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये आनुपातिक आधार पर की जायेगी ।
4. संविदा सेवा में किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।
5. संविदा सेवा में, संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।

......2

6. नियुक्त संविदा कर्मी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन का कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा P.P.F में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी ।
7. नियुक्त कर्मचारी को उपस्थिति के समय जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड का "स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. नियुक्त कर्मचारी की संविदा नियुक्ति चरित्र सत्यापन (पुलिस व्हेरीफिकेशन) की शर्त पर होगी । यदि इस प्रक्रिया में कोई प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से नियुक्ति रद्द की जा सकेगी ।
9. नियुक्त कर्मचारी को मुख्यालय की परिधि में निवास करना अनिवार्य होगा ।
10. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी नहीं किया जायेगा ।
11. कार्य, व्यवहार, अनुशासन आदि संतोषप्रद नहीं होने पर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी ।
12. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
13. संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, आवश्यकता के आधार पर संविदा कर्मी की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुये संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा ।
14. कार्य का मूल्यांकन प्रतिमाह नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् ही वेतन भुगतान किया जावेगा ।
15. संविदा नियुक्ति की प्रथम 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा ।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि तीन वर्ष बाद हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके ।
17. संविदा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस में पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा संविदा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(किरन गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

पृ/क्रमांक/वनो./संघ/स्थापना-2/2025/ 743 नवा रायपुर, दिनांक 17/01/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. **कार्यकारी संचालक एवं महाप्रबंधक,** संघ मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
2. **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक, वनवृत्त छत्तीसगढ़** ।
3. **समस्त प्रबंध संचालक,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित छत्तीसगढ़ ।
4. **प्रबंधक (वित्त),** संघ मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
5. **सर्व संबंधित चयनित अभ्यर्थियों (अनुक्रमांक 01 से 07) की ओर सूचनार्थ** । आदेश की डाक प्रति उनके द्वारा आवेदन में दर्शित पते पर भी प्रेषित की जा रही है ।

संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर